18/12/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA के तहत सिद्ध नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मय मिसल बाद तकमील आकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 06/2016
जीसीएमएस न. 2016/00080
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18/12/25

1. फगुनी पुत्र सौना जाति जाटव निवासी ग्राम छतरपुर तहसील नदबई (भरतपुर)
—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

:: निर्णय ::दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि विवादित आराजी खाता संख्या 518 के आराजी खसरा नम्बरान 1581 रकवा 0.21 हैक्टे. व 1583 रकवा 0.02 हैक्टे. व 1584 रकवा 0.14 किता 3 कुल रकवा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी है। जिस पर तभी से काश्त कर रहा है।क्यों कि वादी जब संवत 2028 मे गैरखातेदार दर्ज है तो नियमानुसार अब तक खातेदार दर्ज होना चाहिए क्योंकि वादी को पैतृक आराजी के तहत अब तक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः इसी आधार पर अपने आप को खातेदारी घोषित करा पाने का अधिकारी है।
2. यह है कि गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी का अधिनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी ने वमुकाम छतरपुर में दिनांक 24.07.2015 को धमकी दी है कि विवादित आराजी में आप गैर खातेदार है इसलिए तुमको कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे।अगर वादी अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गया तो वादी का अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादी, प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादपत्र वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

(अ) यह है कि आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र के आराजी खसरा नम्बर 1581 रकवा 0.21 हैक्टे. व 1583 रकवा 0.02 हैक्टे. व 1584 रकवा 0.14 किता 3 कुल रकवा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई में वर्तमान में गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन कर उक्त आराजी पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ब) यह है प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी डिकी से पाबंद किया जावे कि वह उक्त विवादित आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमद न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी पक्षकारान पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार, नदबई उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया। शामिल पत्रावली है।

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2067–2070 वाके ग्राम छतरपुर (प्रदर्श–01), खसरा गिरदावरी 2067, खसरा गिरदावरी 2071–74 वाके ग्राम छतरपुर (प्रदर्श–03), नकल प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 ग्राम छतरपुर(प्रदर्श–04), नकल प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 ग्राम छतरपुर (प्रदर्श–05), नकल प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2024 वाके ग्राम छतरपुर(प्रदर्श–06) एवं फॉर्म नं0 3 के साथ अन्य दस्तावेजात् यथा नकल सत्यप्रतिलिपि खसरा गिरदावरी 2019 लगायत 2022 वाके ग्राम छतरपुर, नकल खसरा गिरदावरी 2013 लगायत 2016 एवं नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 लगायत 2012 वाके ग्राम छतरपुर पेश किये गये। एवं मौखिक बयान के रूप में शपथ पत्र फगुनी पुत्री सोनी जाति जाटव निवासी छतरपुर तहसील नदबई, सुरेश पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी छतरपुर के पेश किये गये।

उक्त वादपत्र के संबंध में तहसीलदार, नदबई से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। जो शामिल पत्रावली है। मुताबिक तहसीलदार नदबई रिपोर्ट आराजी खसरा नं0 1518/0.21, 1583/0.02, 1584/0.14 किता 03 रकवा 0.37 हैक्टे. पर फगुनी पुत्र सोनी हि0 पूर्ण जाति जाटव सा0 छतरपुर गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि उक्त खसरा नम्बरान पर फगुनी पुत्र सोनी द्वारा काश्त की जा रही है एवं उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी एवं अब्दुल रहमान प्रकरण से संबधित नहीं है।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है। वादी वकील का कहना है कि विवादित आराजी खाता संख्या 518 के आराजी खसरा नम्बरान 1581 रकवा 0.21 हैक्टे. व 1583 रकवा 0.02 हैक्टे. व 1584 रकवा 0.14 किता 3 कुल रकवा 0.37 हैक्टे. वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई में स्थित है। जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी वादी की पैतृक आराजी है। जिस पर तभी से काश्त कर रहा है।क्यों कि वादी जब संवत 2028 मे गैरखातेदार दर्ज है तो नियमानुसार अब तक

उपखण्ड अधि

खातेदार दर्ज होना चाहिए क्योंकि वादी को पैतृक आराजी के तहत अब तक खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः इसी आधार पर अपने आप को खातेदारी घोषित करा पाने का अधिकारी है।

हमने वादी वकील की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 हाल खसरा नं0 879 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा है। इसके गत खसरा नं0 605 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा एवं खसरा नं0 606 रकवा 3 विस्वा है (प्रदर्श–4)। मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 हाल नं. 1581 रकवा 0.21 हैक्टे. व 1583 रकवा 0.02 हैक्टे. व 1584 रकवा 0.14 है (प्रदर्श–5)। इसके गत खसरा नम्बरान 879 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा है। जमाबंदी संवत 2017 से 2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 605 सोनी बल्द गोरधन कौम चमार साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जिसके रकवा का मिलान गत खसरा नम्बर 605 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा से मेल नहीं खाता है। उक्त जमाबंदी को सिद्ध करने के लिए जमांबदी संवत 2012 की पेश नहीं की गई है। जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि गत खसरा नम्बर 605 रकवा 2 बीघा 2 विस्वा एवं खसरा नं0 606 रकवा 3 विस्वा पूर्व में संवत 2012 में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम खातेदारी इन्द्राज रहे है। उक्त खसरा नम्बरान पर प्रार्थीगण द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध करने हेतु पेश दस्तावेजात् पर्याप्त नहीं है। अतः रिकॉर्ड के अभाव में वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि वादी का वादपत्र वादी द्वारा सिद्ध नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते